न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : मयंक मनीष, I.A.S.

पत्रावली संख्या : **23/21 (प्रा0पत्र)**

GCMS No. : 2021/77

अनवान्

1. श्री किशनलाल पिता गणेशलाल गुर्जर निवासी भीमल तह. मावली।
2. श्री गोपाल पिता गणेशलाल गुर्जर निवासी भीमल तह. मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री उदयलाल पिता भीमा गुर्जर निवासी भीमल तह. मावली।
2. श्री भेरूलाल पिता उदयलाल गुर्जर निवासी भीमल तह. मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री ओमप्रकाश डागलिया, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री अशोक वर्मा, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1
3. श्री सुरज लौहार, अधिवक्ता विपक्षी सं. 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक :– 23.07.2021

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 से 6 तक के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजीयात ग्राम भीमल पटवार हल्का भीमल के आराजी नम्बर 1357/507, 1360/477, 478, 481, 503, 506, 508, 564, 928, 967 किता 10 रकबा 9.2916 हेक्टेयर उक्त वर्णित आराजीयात हम प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा के एवं विपक्षी सं. 1 से 6 तक के हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। उक्त वर्णित आराजीयात जो संयुक्त शामलाती रूप से राजस्व रेकार्ड में हम प्रार्थीगण व विपक्षीगण के नाम से हिस्सेनुसार दर्ज है, परन्तु मौके पर बंटवाडा नहीं कर रखा है, केवल मात्र सुविधा अनुसार ही हम प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण उक्त वर्णित आराजीयात का उपयोग–उपभोग किया जा रहा है जिस पर शामलाती रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।
2. उक्त वर्णित आराजीयात को हम प्रार्थीगण व विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी हिस्से से दर्ज है, परन्तु रेकार्ड अनुसार बंटवारा नहीं होने से प्रार्थीगण को भारी असुविधा उत्पन्न हो रही है व वाद पत्र में वर्णित आराजीयात का विभाजित करने एवं उपजाउ बनाने में भारी असुविधा उत्पन्न हो रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.04 14:43:11 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि विपक्षी सं. 2 उक्त वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार भी नहीं है फिर भी विपक्षी सं. 1 व 2 बिना किसी हक व अधिकार के हम प्रार्थीगण के हक व हिस्से की भूमि में जबरन दखलन्दाजी कर पक्का निर्माण कार्य करने पर उतारू हो रहा है तथा विपक्षी सं. 1 व 2 को उक्त वर्णित आराजीयात में पक्का निर्माण कार्य नहीं करने एवं जबरन हमारे हिस्से की भूमि पर कब्जा नहीं करने हेतु कहां तो विपक्षी संख्या 1 व 2 लडने झगडने पर आमादा हो रहा है तथा विपक्षी संख्या 1 व 2 को उक्त वादग्रस्त भूमि में जबरन कब्जा करने एवं पक्का निर्माण कार्य करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हैं।
4. यह कि विपक्षीगण को वाद वर्णित आराजीयात का बिना बंटवाडा कराये वाद में वर्णित आराजीयात में किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने एवं नया निर्माण करने एवं उक्त वर्णित आराजीयात को हस्तान्तरित करने का कोई अधिकार नहीं है, इसके बावजूद भी विपक्षी सं. 2 उक्त वादग्रस्त भूमि का खातेदार नहीं होने के बावजूद विपक्षी सं. 1 व 2 जबरन ताकत के बल पर वादग्रस्त आराजीयात में आराजी नम्बर 508 में नया निर्माण कार्य कर रहा है तथा इसकी वर्तमान में स्थिति बदलने पर विपक्षी संख्या 1 व 2 आमादा है जिनका उसे कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हैं।
5. यह कि विपक्षी सं. 1 व 2 के मन में बदनियति आ जाने से नाजायज रूप से कब्जा करने की नियत से बिना बंटवाडा कराये तथा विपक्षी संख्या 2 उक्त वर्णित आराजीयात का खातेदार नहीं होने के बावजूद भी उक्त वादग्रस्त आराजीयात में जबरन कब्जा करने एवं उक्त वर्णित आराजीयात को खुर्द बुर्द एवं हस्तान्तरित करने पर आमादा है तथा बिना बंटवाडा कराये विपक्षी सं. 1 व 2 को उक्त वर्णित आराजीयात पर कोई नया निर्माण कार्य करने एवं उक्त वर्णित आराजीयात को खुर्द बुर्द एवं किसी भी तरह से हस्तान्तरित करने का विपक्षी सं. 1 व 2 को कोई हक व अधिकार नहीं है विपक्षी सं. 1 व 2 को इस आशय की निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाना आवश्यक है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 वादपत्र में वर्णित आराजीयात में किसी प्रकार का नया निर्माण नहीं करे एवं उक्त आराजीयात की वर्तमान स्थिति में किसी भी तरह से फेर बदल नहीं करे तथा दौराने वाद यदि विपक्षीगण जबरन ताकत के बल पर कोई निर्माण कार्य कर लेते है तो उसे विपक्षी सं. 1 व 2 के खर्चे से पुनः हटवाये जाने के प्रार्थीगण अधिकारी हैं।
6. यह कि हम प्रार्थीगण का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि वाद वर्णित जमीन हम प्रार्थीगण के संयुक्त हिस्सेनुसार कब्जे अधिकार आधिपत्य में चली आ रही है तथा सुविधा संतुलन भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। इसलिए हम प्रार्थीगण उक्त आराजीयात को अपने नाम हिस्सेनुसार स्वतन्त्र रूप से दर्ज कराने के अधिकारी हैं।
7. यह कि हम ने विपक्षी संख्या 1 व 2 को दिनांक 25.02.2021 को प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का बंटवाडा कराने के लिए कहा तो विपक्षीगण ने कोई ध्यान नहीं दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.04 14:13:14 IST
Reason: SelfAttested

और वाद में वर्णित आराजीयात का बंटवाडा कराने से इन्कार हो गये और उक्त आराजीयात पर अवैध करने कब्जा करने की नियत से खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो रहे है एवं हम प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा है इसलिए हम प्रार्थीगण को विवश होकर यह वाद पत्र प्रस्तुत करना पड रहा हैं। जिससे प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 25.02.2021 को उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

8. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करायी जावे कि वाद के निस्तारण होने तक प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात आराजी नम्बर 508 में प्रार्थी के हिस्से व कब्जे की जमीन पर विपक्षीगण कोई दखलन्दाजी न तो स्वयं करे ना ही किसी अपने एजेन्ट से करावे तथा न ही उक्त आराजीयात में खुर्द बुर्द नहीं करे न ही उक्त वर्णित आराजीयात पर नया निर्माण कर पक्की दीवाल का निर्माण करे न ही इसी आराजीयात में आने जाने हेतु रास्ते को बंद करे तथा न ही उक्त आराजीयात के वर्तमान स्वरूप में बदलाव करें, प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

9. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त गांव भीमल पटवार हल्का भीमल की आराजी नम्बर 1357/507, 1360/477, 478, 481, 503, 506, 508, 564, 928, 967 किता 10 रकबा 9.2916 हेक्टेयर भूमि होना स्वीकार है परन्तु उक्त भूमि में प्रार्थी का किंचित मात्र भी कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है, मात्र राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता गणेशलाल गुर्जर का नाम सेहवन से दर्ज होने से गणेशलाल की मृत्यु पश्चात् विरासत से प्रार्थीगण का नाम दर्ज हो गया हैं। उक्त वर्णित आराजीयात राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अवश्य दर्ज है परन्तु जैसा कि उपर निवेदन किया गया है कि उक्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता गणेशलाल गुर्जर का नाम सेहवन से दर्ज होने व गणेशलाल की मृत्यु पश्चात् विरासत से प्रार्थीगण का नाम दर्ज हो गया है। मौके पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा न तो पूर्व में था और न ही वर्तमान में ही हैं। वास्तविकता यह कि है उक्त वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है न ही इनके कब्जे काश्त में है क्योंकि उक्त वादगत भूमि को मुझ विपक्षी सं. 1 उदयलाल व मेरे भाई गमेरलाल पिता भीमा गुर्जर व नारायणलाल पिता मोडा जी गुर्जर ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.09.1964 को खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था और उक्त समय प्रार्थीगण के पिता गणेशलाल गुर्जर का जन्म ही नहीं हुआ था। गणेशलाल गुर्जर जो कि मेरा भाई है का जन्म वर्ष 1966 में हुआ उससे पूर्व ही उक्त भूमि को हमारे द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया गया था और तत्कालीन समय में उक्त भूमि का नामांतरण अपने नाम पर खोलने हेतु तत्कालीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.04 14:43:11 IST
Reason: SelfAttested

पटवारी के यहां विक्रय पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की थी परन्तु हमारे नाम पर नामान्तरकरण नहीं खुलने से एवं गलती से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में गणेशलाल गुर्जर का नाम दर्ज हो जाने से व गणेशलाल की मृत्यु हो जाने पर विरासत से प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हो जाने से प्रार्थीगण यह मिथ्या तथ्यों पर मुझ विपक्षी सं. 1 जो कि काफी वृद्ध हो गया हूं व अकसर बीमार रहता हूं को हैरान परेशान व समाज व गांव में जलील करने की नियत से आप न्यायालय में प्रस्तुत किया है जबकि वास्तविकता में प्रार्थीगण का उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं हैं न ही कभी इनके कब्जे में रही हैं।

10. यह कि उक्त आराजी नम्बर 508 रकबा 0.1562 हेक्टेयर जिसके साबिक आराजी नम्बर 463/1 रकबा 2 बीघा बिस्वा, 464 रकबा 9 बिस्वा एवं 483 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि को मुझ विपक्षी सं. 1 व मेरे भाई गमेरलाल और नारायणलाल गुर्जर ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.10.1964 को जब प्रार्थीगण के पिता गणेशलाल गुर्जर का जन्म ही नहीं हुआ था तब खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था और उक्त भूमि पर मुझ विपक्षी संख्या 1 ने आज से करीबन 45 वर्ष पूर्व उक्त भूमि की देखभाल करने व अपने कृषि औजार व कृषि उपज रखने के लिए निर्माण कार्य करवाया था और वही निवास कर रहा हूं उसी पुराने निर्माण पर जो कि जर्जर अवस्था में हो जाने से मे नया निर्माण कार्य करवा रहा हूं इसमें विपक्षी सं. 2 का कोई लेना देना नहीं हैं। प्रार्थीगण ने उक्त सभी तथ्य मिथ्या व मनगढन्त अंकित किये हैं।

11. यह कि उक्त भूमि में विपक्षी संख्या 2 का कोई लेना देना नहीं है न ही विपक्षी संख्या 2 कोई निर्माण कार्य ही करवा रहा है। वास्तविकता यह कि है कि उक्त भूमि पर मुझ विपक्षी संख्या 1 द्वारा 45 वर्ष पूर्व अपने कृषि औजार व कृषि उपज रखने के लिए निर्माण कार्य करवाया था और वही निवास कर रहा हूं उसी पुराने निर्माण पर जो कि जर्जर अवस्था में हो जाने से मैं नया निर्माण कार्य करवा रहा हूं इसमें विपक्षी सं. 2 का कोई लेना देना नहीं है और उक्त निर्माण के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा भी प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि मैं अपने पुराने निर्माण कार्य जो कि जर्जर अवस्था में हो जाने से उसी स्थान पर नव निर्माण करवा रहा हूं। मैं विपक्षी संख्या 1 अपनी उक्त भूमि को किसी अन्य को विक्रय या किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं कर रहा हूं। प्रार्थीगण ने उक्त कलम मिथ्या एवं मनगढन्त अंकित किये हैं।

12. यह कि प्रार्थीगण का उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है मात्र गलती से राजस्व रेकार्ड में इनके पिता गणेशलाल का नाम दर्ज हो जाने से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विरासत से प्रार्थीगण का नाम दर्ज हो गया है इसलिए प्रार्थीगण का न तो प्रथम दृष्टया मामला है न ही सुविधा का संतुलन ही इनके पक्ष में है और जब इनका

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.04 14:13:14 IST
Reason: SelfAttested

उक्त भूमि से कोई लेना देना ही नहीं है तो इनको किसी प्रकार की क्षति होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं।

13. यह कि प्रार्थीगण का उक्त आराजीयात में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है इसलिए बंटवारा करवाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, कब्जा तो मुझ विपक्षी का उक्त भूमि पर उक्त भूमि को खरीदने के वर्ष 1964 से ही लगातार निरन्तर बिना किसी बाधा के प्रार्थीगण व इसके स्व. पिता गणेशलाल गुर्जर की जानकारी में चला आ रहा है और मैं विपक्षी अपनी उक्त भूमि को किसी अन्य को विक्रय नहीं कर रहा हूं इसलिए प्रार्थीगण को दिनांक 25.02.2021 या कभी भी उत्पन्न नहीं होता हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या एवं मगढन्त तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे, प्रार्थीगण मुझ विपक्षी के विरूद्व माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी नहीं हैं।

14. **विपक्षी सं. 2 द्वारा जवाब पेश** कर निवेदन किया कि उक्त गांव भीमल पटवार हल्का भीमल की आराजी नम्बर 1357/507, 1360/477, 478, 481, 503, 506, 508, 564, 928, 967 किता 10 रकबा 9.2916 हेक्टेयर भूमि होना स्वीकार है परन्तु उक्त भूमि में प्रार्थी का किंचित मात्र भी कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है, मात्र राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता गणेशलाल गुर्जर का नाम सेहवन से दर्ज होने से गणेशलाल की मृत्यु पश्चात् विरासत से प्रार्थीगण का नाम दर्ज हो गया हैं। उक्त वर्णित आराजीयात राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अवश्य दर्ज है परन्तु जैसा कि उपर निवेदन किया गया है कि उक्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता गणेशलाल गुर्जर का नाम सेहवन से दर्ज होने व गणेशलाल की मृत्यु पश्चात् विरासत से प्रार्थीगण का नाम दर्ज हो गया है। मौके पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा न तो पूर्व में था और न ही वर्तमान में ही हैं। वास्तविकता यह कि है उक्त वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है न ही इनके कब्जे काश्त में है क्योंकि उक्त वादगत भूमि को मुझ विपक्षी सं. 2 के पिता उदयलाल व बडे पापा गमेरलाल पिता भीमा गुर्जर व नारायणलाल पिता मोडा जी गुर्जर ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.09.1964 को खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था और उक्त समय प्रार्थीगण के पिता गणेशलाल गुर्जर का जन्म ही नहीं हुआ था। गणेशलाल गुर्जर जो कि मेरे काकाजी है का जन्म वर्ष 1966 में हुआ उससे पूर्व ही उक्त भूमि को मेरे पिताजी उदयलाल जी व बडे पापा गमेरलालजी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदकर कब्जा प्राप्त किया गया था और तत्कालीन समय में उक्त भूमि का नामान्तरण अपने नाम पर खोलने हेतु तत्कालीन पटवारी के यहां विक्रय पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की थी परन्तु [illegible] पर नामान्तरकरण नहीं खुलने से एवं गलती से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में गणेशलाल गुर्जर का नाम दर्ज हो जाने से व

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.04 14:43:11 IST
Reason: SelfAttested

गणेशलाल की मृत्यु हो जाने पर विरासत से प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हो जाने से प्रार्थीगण यह मिथ्या तथ्यों पर मुझ विपक्षी सं. 2 के पिताजी उदयलालजी जो कि काफी वृद्ध हो गये है व अकसर बीमार रहता हूं को हैरान परेशान व समाज व गांव में जलील करने की नियत से आप न्यायालय में प्रस्तुत किया है जबकि वास्तविकता में प्रार्थीगण का उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं हैं न ही कभी इनके कब्जे में रही हैं।

15. यह कि उक्त आराजी नम्बर 508 रकबा 0.1562 हेक्टेयर जिसके साबिक आराजी नम्बर 463/1 रकबा 2 बीघा बिस्वा, 464 रकबा 9 बिस्वा एवं 483 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि को मुझ विपक्षी सं. 2 के पिता उदयलाल जी व बडे पापा गमेरलाल और नारायणलाल गुर्जर ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.10.1964 को जब प्रार्थीगण के पिता गणेशलाल गुर्जर का जन्म ही नहीं हुआ था तब खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था और उक्त भूमि पर मेरे पिताजी विपक्षी संख्या 1 ने आज से करीबन 45 वर्ष पूर्व उक्त भूमि की देखभाल करने व अपने कृषि औजार व कृषि उपज रखने के लिए निर्माण कार्य करवाया था और वही निवास कर रहे थे उसी पुराने निर्माण पर जो कि जर्जर अवस्था में हो जाने से मेरे पिताजी ही उक्त जर्जर अवस्था में हुए निर्माण की मरम्मत व नया निर्माण कार्य करवा रहे है इसमें मुझ विपक्षी सं. 2 का कोई लेना देना नहीं हैं न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करवा रहा हूं। प्रार्थीगण ने उक्त सभी तथ्य मिथ्या व मनगढन्त अंकित किये हैं।

16. यह कि उक्त भूमि में मुझ विपक्षी संख्या 2 का कोई लेना देना नहीं है न मैं ही विपक्षी संख्या 2 कोई निर्माण कार्य ही करवा रहा है। वास्तविकता यह कि है कि उक्त भूमि पर मुझ विपक्षी संख्या 1 द्वारा 45 वर्ष पूर्व अपने कृषि औजार व कृषि उपज रखने के लिए निर्माण कार्य करवाया था और वही निवास कर रहा हूं उसी पुराने निर्माण पर जो कि जर्जर अवस्था में हो जाने से विपक्षी सं. 1 उदयलाल जी नया निर्माण कार्य करवा रहे हैं इसमें मुझ विपक्षी सं. 2 का कोई लेना देना नहीं है और उक्त निर्माण के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा भी प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि उक्त पुराने निर्माण कार्य जो कि जर्जर अवस्था में हो जाने से उसी स्थान पर नव निर्माण करवा रहा हूं। विपक्षी संख्या 1 अपनी उक्त भूमि को किसी अन्य को विक्रय या किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं कर रहे है। प्रार्थीगण ने उक्त कलम मिथ्या एवं मनगढन्त अंकित किये हैं।

17. यह कि प्रार्थीगण का उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है मात्र गलती से राजस्व रेकार्ड में इनके पिता गणेशलाल का नाम दर्ज हो जाने से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विरासत से प्रार्थीगण का नाम दर्ज हो गया है इसलिए प्रार्थीगण का न तो प्रथम दृष्टया मामला है न ही सुविधा संतुलन ही इनके पक्ष में है और जब इनका

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.04 14:13:14 IST
Reason: SelfAttested

उक्त भूमि से कोई लेना देना ही नहीं है तो इनको किसी प्रकार की क्षति होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं।

18. यह कि प्रार्थीगण का उक्त आराजीयात में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है इसलिए बंटवारा करवाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, कब्जा तो मुझ विपक्षी के पिता का उक्त भूमि को खरीदने के वर्ष 1964 से ही लगातार निरन्तर बिना किसी बाधा के प्रार्थीगण व इसके स्व. पिता गणेशलाल गुर्जर की जानकारी में चला आ रहा है और हम अपनी उक्त भूमि को किसी अन्य को विक्रय नहीं कर रहे है इसलिए प्रार्थीगण को दिनांक 25.02.2021 या कभी भी उत्पन्न नहीं होता हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या एवं मगढन्त तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे, प्रार्थीगण मुझ विपक्षी के विरूद्व माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी नहीं हैं।

19. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस मय दस्तावेज पेश कर प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

20. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–

1. *प्रथम दृष्टया मामला*– प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 के नाम सह खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। चूंकि प्रकरण में प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 खातेदार है। विपक्षी सं. 1 बिना बंटवाडा भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा हैं। प्रकरण में तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट में भी आराजी नम्बर 508 पर निर्माण करने का कथन किया हैं। चूंकि भूमि सामलाती है अतः सामलाती होने से प्रत्येक इंच पर प्रत्येक का कब्जा माना जाता है। यदि विपक्षी अच्छी किस्म की भूमि पर निर्माण कार्य कर लेते है तो प्रार्थीगण के हक अधिकार प्रभावित होगें। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन* – चूंकि वाद वर्णित भूमि के खातेदार प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में स्थापित हुआ है। अतः सुविधा का संतुलन का

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.04 14:43:11 IST
Reason: SelfAttested

बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि वाद वर्णित भूमि का खातेदार प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

21. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। वाद वर्णित भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज है। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा बंटवाडे व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रकरण में तहसीलदार मावली से मौके की रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रकरण में विपक्षी सं. 1, 2 बिना बंटवाडे अच्छी किस्म की भूमि पर निर्माण कार्य करने पर उतारू हैं जिसकी ताईद तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट पत्र क्रमांक 281 दिनांक 26.03.21 से होती हैं। सामलाती खातेदार होने से प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता हैं। विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा यदि अच्छी व अधिक भूमि पर निर्माण कार्य कर लेता है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये गये है। अतः विपक्षीगण को निर्माण कार्य करने से रोका जाना अत्यन्त आवश्यक हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीमल पटवार हल्का भीमल की आराजी नम्बर 508 रकबा 1.1493 हेक्टयेर भूमि पर विपक्षी सं. 1 व 2 किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं करे, आराजीयात को खुर्द बुर्द नहीं करें, आने जाने के रास्ते को बंद नहीं करें। मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.04 14:43:11 IST
Reason: SelfAttested